राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकःएफ.3(न)(Samvidhan Diwas)का.प्र./स्थानि./25/ 11973 – 12285 दिनांकः25.11.2025

आयुक्त,

नगर निगम/परिषद् समस्त।

अधिशाषी अधिकारी,

नगर पालिका, समस्त राज0।

विषयः– Celebration of Constitution Day (Samvidhan Diwas) 26TH November, 2025.

प्रसंगः– अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अ0शा0 पत्र क्रमांक N-11025/29/2020-LSG(E-9098107) दिनांक 24.11.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के अनुसरण में लेख है कि भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस समारोह में संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों को उजागर करने और दोहराने के उद्देश्य से कई गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

अतः आगामी संविधान दिवस (26 नवम्बर 2025) के उत्सव में सक्रिय और व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राज्य के समस्त नगर निकायों (ULBs) को निम्नलिखित गतिविधियों विशेष रूप से आयोजित करने हेतु निर्देशित किया जाता हैः–

- समस्त नगर निकाय क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर प्रस्तावना वाचन और सार्वजनिक पाठ सत्र आयोजित करना;
- सार्वजनिक भवनों में प्रकाश व्यवस्था की सुविधा प्रदान करना, और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सार्वजनिक प्रदर्शन की व्यवस्था करना;
- "हमारा शहर, हमारा संविधान" अभियान जैसी नगर निकायों द्वारा संचालित आउटरीच पहलों और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली अन्य नागरिक सहभागिता गतिविधियों का संचालन करना।

उपरोक्त गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने और विशेष रूप से समुदाय और वार्ड स्तर पर अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक:एफ.3(न)(Samvidhan Diwas)का.प्र./स्थानि./25/ 12286-12363 दिनांक:25.11.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री कार्यालय, राज0 जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, अवर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
05. वरि0 निजी सचिव, आयुक्त, स्वायत्त शासन विभाग,जयपुर।
06. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
07. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
08. समस्त अधिकारीगण, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
09. उप निदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षैत्राधिकार के नगर निकायों में कार्यक्रम का सफल आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करावें।
10. जन सम्पर्क अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक/सिस्टम एनालिस्ट, आई0टी0 को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Scanned with OKEN Scanner